<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

<u>माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर</u>

<u>प्रकरण क्रमांक – दांडिक अपील क्रमांक 1162/1989</u>

1. सत्येन्द्र कुमार आत्मज लाल महेंद्र कुमार पुलसत्य, आयु- 24 वर्ष, निवासी- ठाकुरटोला, गंडई, राजनांदगांव, मध्यप्रदेश।
2. धनुक आत्मज सहदेव धोबी, आयु- 30 वर्ष, निवासी- ठाकुरटोला, गंडई, पुलिस थाना- गंडई, राजनांदगांव, मध्यप्रदेश।.....**अपीलार्थीगण(जेल में)**

विरुद्ध

पुलिस थाना- गंडई, जिला- राजनांदगांव, मध्यप्रदेश की ओर से मध्यप्रदेश शासन ..... **उत्तवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील</u>

.....

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एफ.एस.खरे।

शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण साव।

तर्क श्रवण किया गया।

निर्णय निम्न प्रकार से पारित किया गया:

.....

<u>मौखिक आदेश</u>

(22.02.2007)

<u>सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति,</u>

1) यह अपील अपर सेशन न्यायाधीश, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 24/1989 में पारित दोषसिद्धि एवं दंड आदेश दिनांक 6 दिसंबर, 1989 के विरुद्ध है, जिसके अनुसार अपिलार्थीगण को

भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 394 एवं 450 के अंतर्गत सिद्धदोष पाया गया था और क्रमशः 3 वर्ष, 5 वर्ष एवं 5 वर्ष के सश्रम कारावास का दंड दिया गया है। इन दंडों को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

2) प्रकरण के तथ्य यह हैं कि 08.9.1988 को दुलीचंद (अभियोजन साक्षी 1) और उनकी पत्नी कमला (अभियोजन साक्षी 2), अपनी बेटी कु. सुषमा के साथ अपने घर में सो रहे थे। दुलीचंद एक दुकानदार थे, जिनकी उक्त घर के एक हिस्से में एक छोटी सी दुकान थी। आधी रात को, उन्होंने कुछ शोर सुना, जिस पर वे जाग गए। गाँव में कोई रोशनी नहीं थी; इसलिए, अभियोजन साक्षी 1 ने अपनी टॉर्च चालू की और देखा कि दो व्यक्ति उसकी दुकान का कैश बॉक्स ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उक्त व्यक्तियों में से एक ने अपना चेहरा किसी कपड़े (लुंगी) से ढक रखा था। जब उन्होंने देखा कि परिवादी (अभियोजन साक्षी 1) जाग गया है, तो जिस व्यक्ति ने अपना चेहरा ढका था, उसने लोहे की जंजीर (सकल, जिसका उपयोग गाँव में दरवाजे बंद करने के लिए किया जाता है) की मदद से उस पर हमला किया। अभियोजन साक्षी 1 को सिर, बाएं हाथ और चेहरे पर चोटें आईं और उसके नथुनों से खून बहने लगा। मारपीट के दौरान अभियोजन साक्षी 1, दुलीचंद ने हमलावर का पर्दा हटा दिया, और वह पहचान गया कि हमलावर अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार है। यह सब देखकर, दूसरे हमलावर ने भी परिवादी पर हमला करने का प्रयास किया, जिस पर परिवादी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, और हमलावर परिवादी के घर में नकदी बॉक्स को वहीं छोड़कर घटनास्थल से भाग गए। मारपीट के समय, परिवादी ने टॉर्च की मदद से अपना बचाव करने की कोशिश की थी, जिससे टॉर्च का कांच वाला हिस्सा टूट गया था, और नकदी बॉक्स में रखे विभिन्न सामान भी अभियुक्तों के हाथों से नीचे गिर गए थे, और वे सामान फर्श पर बिखर गए थे। शोरगुल सुनकर पीला राम, अकतू राम, सदा राम, विपत और ननकू आदि परिवादी दुलीचंद के घर पहुंचे, जिन्हें उसने दोनों हमलावरों यानि आरोपी अपीलार्थीगण संख्या 1 और 2 के नाम बताते हुए कहानी सुनाई। घटना की रिपोर्ट देहाती नालसी प्रदर्श पी-1 पर 09.9.1988 को दर्ज की गई, जिसे अभियोजन साक्षी 7 देवकीनंदन शर्मा ने दर्ज किया। इस देहाती नालसी प्रदर्श पी-1 में हमलावरों के नाम भी हैं, और इसमें उन वस्तुओं (संपत्तियों) का विवरण भी है जो उपरोक्त अपराध के क्रियान्वयन में शामिल थीं। इस रिपोर्ट के आधार पर, अन्वेषण अधिकारी ने प्रदर्श पी-9 के अनुसार एक साइट प्लान तैयार किया। घायल परिवादी दुलीचंद को प्रदर्श पी-5 के तहत चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। डॉ. सुधाकर दामले (अभियोजन साक्षी 6) ने उनका परीक्षण किया, जिन्होंने प्रदर्श पी-6 के तहत अपनी रिपोर्ट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दी। चूंकि पीड़ित नथुनों में चोटों की शिकायत कर रहा था, इसलिए उसे प्रदर्श पी-3 के तहत एक ईएनटी विशेषज्ञ के पास आगामी परीक्षण के लिए भेजा गया और डॉ. एस.के. अग्रवाल (अभियोजन साक्षी 5) ने उनकी जांच की, जिन्होंने 16.9.1988 (प्रदर्श पी-4) की अपनी रिपोर्ट दी।

3) एमएलसी रिपोर्ट, प्रदर्श पी-6 के अवलोकन से पता चलता है कि परिवादी को बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर 5 सेमी x 1/4 सेमी के आकार में खरोंच आई है। बाएं कंधे पर 4 सेमी x 2 सेमी के आकार में एक खरोंच थी। यह लाल रंग का था। सिर के बाईं ओर खरोंच का निशान पाया गया, जो 1/2 सेमी x 1/2 सेमी के आकार का था, और वह नाक में दर्द की शिकायत कर रहा था। डॉ. सुधाकर दामले (अभियोजन साक्षी 6) ने राय दी कि सभी चोटें सामान्य प्रकृति की थीं, और चोट नंबर 4 को छोड़कर, सभी चोटें किसी सश्रम और कुंद वस्तु के कारण आई थीं। उन्होंने एक ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा चोट नंबर 4 के आगामी परीक्षण की सलाह दी थी। यही कारण है कि पीड़ित को 16.9.1988 को फिर से एक ईएनटी विशेषज्ञ के पास भेजा गया था, और प्रदर्श पी-4 के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। विचाराधीन संपत्ति को भी अन्वेषण अधिकारी ने प्रदर्श पी-2 के अंतर्गत ज़ब्त कर लिया। घटनास्थल से ही विभिन्न वस्तुएँ ज़ब्त की गईं, जैसे एल्युमीनियम से बना कैश बॉक्स, करेंसी नोट, लकड़ी की कुर्सी का एक टूटा हुआ टुकड़ा, एक इस्तेमाल की हुई एवररेडी टॉर्च, एक लुंगी, एक छोटी चिटकनी (दरवाज़े बंद करने के काम आती है), एक लोहे की जंजीर और एक छोटी कुल्हाड़ी। अन्वेषण पूरी होने के बाद, खैरागढ़ के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, राजनांदगांव को सौंप दिया, जहाँ से विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने फ़ाइल स्थानांतरण पर प्राप्त की और विचारण चलाया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थीगण का अपराध सिद्ध करने के लिए 8 साक्षियों का परीक्षण किया। इसके बाद, अभियुक्तगणों का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में उनके विरुद्ध प्रस्तुत सामग्री से इनकार किया और एक बचाव साक्षी के परीक्षण का प्रस्ताव रखा, जिसके परिणामस्वरूप बचाव साक्षी जयराम सिंह (बचाव साक्षी 1) का परीक्षण किया गया।

5) विचारण पूर्ण होने के पक्षात, विद्वान सेशन न्यायाधीश ने आरोपी अपीलार्थीगणों को भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 394 और 450 के अंतर्गत सिद्धदोष पाया और उन्हें उपरोक्तानुसार सश्रम कारावास का दंड दिया गया।

6) अपीलार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन साक्षी-1 और अभियोजन साक्षी -2 द्वारा अपीलार्थीगणों की पहचान के संबंध में दिया गया विवरण विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अस्वाभाविक विवरण दिया है, और उनके परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि टिकने योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि जब अभियुक्त अपीलार्थीगणों को भारतीय दंड संहिता की धारा 457 के अंतर्गत कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए प्रछन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन का सिद्धदोष पाया गया था, तो उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के अंतर्गत आगे दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था क्योंकि इस प्रकरण में धारा 450 के अंतर्गत अपराध के कोई भी तत्व सिद्ध नहीं होते हैं।

7) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंड के निर्णय का समर्थन किया।

8) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है तथा सत्र विचारण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9) पहचान के पहले बिंदु को समझने के लिए अभियोजन साक्षी-1 दुलीचंद के साक्ष्य की जांच करना आवश्यक है। अभियोजन साक्षी-1 दुलीचंद ने कहा है कि अभियुक्त व्यक्ति उसे पहले से जानते थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को, वे अपने घर में सो रहे थे। रात के लगभग 11.45 बजे, उसकी पत्नी कमला बाई (अभियोजन साक्षी-2) ने कुछ शोर सुना। उसने उसे यह बताया, और जब उसने अपनी टॉर्च चालू की, टॉर्च के फोकस में, उसने देखा कि दो लोग थे, जिनमें से एक ने अपना चेहरा लुंगी से ढक रखा था। जब उन लोगों को उसने देखा, तो वे उस पर हमला करने के लिए दौड़े और जिस व्यक्ति ने अपना चेहरा लुंगी से ढक रखा था (अपीलार्थी नंबर 1 सत्येंद्र कुमार), ने लोहे की चेन (सकल) की मदद से उस पर हमला किया जिससे उसके हाथ, सिर और नाक पर चोटें आईं। उसने कहा कि दूसरे व्यक्ति, धनुक राम ने भी लकड़ी की कुर्सी के टूटे हुए टुकड़े की मदद से उन पर हमला किया। उसने कंडीका 2 में आगे कहा है कि जब उन्होंने पहले आदमी का पीछा किया, तो उसका चेहरा खुला हुआ था क्योंकि इस साक्षी ने उस समय लुंगी उतार दी थी, टॉर्च की रोशनी में भी इस साक्षी ने पहचान लिया कि उक्त व्यक्ति आरोपी अपीलार्थी सत्येंद्र कुमार था, और दूसरा व्यक्ति धनुक था। उसने यह भी कहा कि आरोपी धनुक कैशबॉक्स ले जा रहा था, जो रास्ते में गिर गया और कैशबॉक्स में मौजूद रकम, कई अन्य वस्तुओं के साथ, फर्श पर बिखर गई। उसने कंडीका 3 में आगे कहा है कि उसने शोर मचाया, जिस पर

सदाराम, विपत, अकतूराम, पीलाराम और ननकू आदि उनके घर आए और उन्हें घायल अवस्था में देखा। उसने विशेष रूप से कहा है कि उसी समय, यानी रात में ही, उसने हमलावरों के नाम, यानी आरोपी अपीलार्थी सत्येंद्र और धनुक का खुलासा किया था, उसने यह भी बताया कि थाने में प्रदर्श पी-1 के तहत एस.एच.ओ को रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर अन्वेषण शुरू हो गई है और पुलिस द्वारा विभिन्न वस्तुएं आदि जब्त कर ली गई हैं। चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था, जिस पर डॉक्टर ने उनका परीक्षण किया।

10) अभियोजन साक्षी-2, कमला बाई ने अभियोजन साक्षी -1 के बयान की पुष्टि की है। उसने कहा है कि दोनों आरोपी उसे अच्छी तरह से जानते हैं। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को, वह और उसका पति शोर सुनकर जाग गए, और टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि आरोपी उनके घर में घुस आए हैं और उन्होंने उनकी दुकान के दरवाजे तोड़ दिए हैं। उसने कहा है कि आरोपी अपीलार्थी सत्येंद्र ने अपना चेहरा लुंगी से ढक रखा था, और आरोपी अपीलार्थी धनुक ने उसकी मदद की थी। उसने यह भी कहा है कि सत्येंद्र ने उसके पति पर हमला किया है, जिसमें उन्हें चोटें आई हैं। उसने आगे कहा है कि धनुक दुकान से कैश बॉक्स ले जाने की कोशिश कर रहा था जो नीचे गिर गया, और बॉक्स में रखी राशि आदि दुकान के फर्श पर बिखर गई। उसने यह भी बताया कि हाथापाई के दौरान, जब उसका पति सत्येंद्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो जिस लुंगी से उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, वह उसके पति के हाथ में आ गई और उसका चेहरा खुल गया, और वे देख पाए कि वह सत्येंद्र ही था, और उन्होंने उसे पहचान लिया। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने दोनों अभियुक्तों की पहचान कर ली थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) अकतूराम से अभियोजन साक्षी 3 के रूप में परीक्षण किया गया है। उसने कहा कि उस रात लगभग 12 बजे शोरगुल सुनकर वह परिवादी के घर पहुंचा और परिवादी को घायल अवस्था में देखा। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि परिवादी दुलीचंद (अभियोजन साक्षी 1) ने उसे बताया था कि सत्येंद्र और धनुक नामक आरोपियों ने उसकी दुकान में डकैती डालने की कोशिश की और उस पर हमला किया। उसने आगे कहा कि उसने परिवादी के घर में विभिन्न वस्तुएं देखीं, जिनमें नोट आदि भी शामिल थे, जो फर्श पर बिखरी हुई थीं। सदाराम का भी यही बयान है, जिसने कहा कि शोरगुल सुनकर जब वह परिवादी के घर पहुंचा तो उसने फर्श पर विभिन्न वस्तुएं पड़ी देखीं और उस समय अभियोजन साक्षी 1, परिवादी दुलीचंद ने उसे हमलावरों के नाम भी बताए थे।

12) यद्यपि बचाव पक्ष द्वारा एक लंबी प्रतिपरिक्षा की गई है, लेकिन बचाव पक्ष ऐसा कोई तथ्य अभिलेखों पर नहीं ला पाया है, जिससे यह पता चले कि ये दोनों साक्षी, अभियोजन साक्षी 1 दुलीचंद और उनकी पत्नी, अभियोजन साक्षी 2 कमला बाई, हमलावरों को नहीं पहचान सके या वे उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसा रहे हैं। इन साक्षियों का आचरण बिल्कुल स्वाभाविक है, और उनके बयान अभियोजन साक्षी 3 और अभियोजन साक्षी 4 के साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं, जो उसी गांव के ग्रामीण हैं और उन्होंने कहा है कि जब शोर मचाया गया था, वे रात में ही परिवादी के घर पहुंच गए थे और परिवादी ने उन्हें बताया था कि ये दोनों अभियुक्त व्यक्ति उनके घर में घुस आए थे और उन्होंने कैश बॉक्स और घर में मौजूद कई अन्य सामान लूटने की कोशिश की थी और उन्होंने उपरोक्त सामानों की सहायता से उसे घायल भी किया था। अभियोजन साक्षी 1 और अभियोजन साक्षी 2 (परिवादी और उसकी पत्नी) के साक्ष्य के आलोक में, जो अभियोजन साक्षी 3 और अभियोजन साक्षी 4 के साक्ष्य से विधिवत रूप से पुष्ट होता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि इन दोनों अभियुक्तों की पहचान या उपस्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं की गई है और इन दोनों साक्षियों द्वारा बताई गई कहानी झूठी या अविश्वसनीय है। इस कहानी का अभियोजन साक्षी 3 और अभियोजन साक्षी 4 ने निश्चित रूप से समर्थन किया है और कहानी से कुछ भी अस्वाभाविक नहीं निकल रहा है। इन दोनों साक्षियों के संस्करण को विभिन्न आर्टिकल्स की जब्ती और अभियोजन साक्षी 1 की चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा भी समर्थन मिलता है, जिसमें अभियोजन साक्षी 1 को लगी चोटें उस डॉक्टर द्वारा देखी गई थीं जिसने 09.09.1988 को उसका परीक्षण किया था। इसलिए, अपीलार्थीगण या डकैती करने के लिए परिवादी के घर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए पहले तर्क में कोई बल नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13) अब हम धारा 457 और 450 के तहत दोषसिद्धि के दूसरे बिंदु पर आते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 450 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसमें प्रावधान है कि जो कोई आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह अतिचार करता है, उसे अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी देना होगा। धारा 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रछन्न गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसमें प्रावधान है कि जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए रात्रौ प्रछन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करता है, उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास

से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी देना होगा; और यदि किया जाने वाला अपराध चोरी है, तो कारावास की अवधि 14 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

14) गृह-अतिचार, प्रछन्न गृह-अतिचार और रात्रौ प्रछन्न गृह-अतिचार को भारतीय दंड संहिता की धारा 442, 443 और 444 के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

442. **गृह अतिचार.—**जो कोई किसी भवन, तम्बू या जलयान में, जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में किया जाता है, या किसी भवन में, जिसका उपयोग पूजा स्थल के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में किया जाता है, प्रवेश करके या उसमें रहकर आपराधिक अतिचार करता है, उसे "गृह अतिचार" करने वाला कहा जाता है।

443**. प्रछन्न गृह-अतिचार-** जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात् गृह-अतिचार करता है कि ऐसे गृह-अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तम्बू या जलयान में से, जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रच्छन्न गृह-अतिचार करता है, यह कहा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

444. **रात्रौ प्रछन्न गृह-अतिचार-** जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह-अतिचार करता है, वह रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार करता है, यह कहा जाता है।

15) उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि यदि गृह अतिचार किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसे अतिचार को छिपाने के लिए सावधानी बरतते हुए किया जाता है, जिसके पास अतिचारी को उस भवन, तम्बू या जलयान से बाहर निकालने या अतिचारी को बाहर निकालने का अधिकार है, जो अतिचार का विषय है, तो इसे प्रछन्न गृह अतिचार कहा जाएगा। यह आगे परिभाषित किया गया है कि यदि ऐसा अतिचार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किया जाता है, तो इसे रात्रौ प्रछन्न गृह-अतिचार कहा जाएगा। इसलिए, गृह अतिचार और रात्रौ प्रछन्न गृह-अतिचार के बीच अंतर स्पष्ट है, अर्थात पूर्व में, अतिचार के ऐसे कृत्य को उस व्यक्ति से छिपाने या प्रछन्न करने के लिए छिपाव या सावधानी का कोई तत्व नहीं है, जिसे अतिचारी को अतिचार की विषय-वस्तु से बाहर निकालने या बाहर निकालने का अधिकार है, जो कि उक्त धाराओं में परिभाषित कोई भवन या अन्य स्थान हो सकता है, लेकिन बाद में, प्रछन्न का तत्व एक महत्वपूर्ण कारक है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि पूर्व

में, गृह-अतिचार आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए किया गया होगा, जबकि बाद में, यह केवल कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए किया गया होगा।

16) वर्तमान प्रकरण में, इस आशय के साक्ष्य हैं कि इन अपीलार्थीगण ने परिवादी से छिपने के संबंध में सावधानी बरतते हुए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले परिवादी के घर में अतिचार करके डकैती करने की कोशिश की थी और अभियुक्तों द्वारा किया गया कृत्य रात्रौ प्रछन्न गृह-अतिचार की परिभाषा के अंतर्गत आता है और तथ्यों और परिस्थितियों में, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 457 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। लेकिन, चूंकि उन्हें धारा 394 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध का सिद्धदोष पाया गया है, जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, इसलिए विचारण न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत दंडनीय अपराध का भी सिद्धदोष पाया है। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 457 के तहत सिद्धदोष ठहराने में कोई अवैधता नहीं प्रतीत होती है, और अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दूसरा तर्क भी कायम नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17) अंत में, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना के दिन अपीलार्थीगण की आयु लगभग 24 और 30 वर्ष थी; इसलिए, धारा 394 और 450 के अंतर्गत उन्हें दी गई सज़ा सश्रम प्रतीत होती है। उनका तर्क है कि न्यायालय को दंड के भाग पर विचार करना चाहिए।

18) ऐसा कहा जाता है कि यह अपराध वर्ष 1988 में हुआ था, और दोषसिद्धि एवं दंड वर्ष 1989 में सुनाया गया था। अपीलार्थी विचारण के दौरान ज़मानत पर थे, और इस अपील के लंबित रहने के दौरान भी वे ज़मानत पर हैं। इसलिए, बीते लंबे समय और आगे प्रश्नाधीन संपत्ति की मात्रा को देखते हुए, यह प्रार्थना उचित प्रतीत होती है।

19) इस बिंदु पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मैं न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 394 के तहत प्रत्येक धारा के तहत 500/- रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल के सश्रम कारावास की सजा देना उचित समझता हूं और इस सीमा तक, उक्त प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

20) परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 394 और 457 के अंतर्गत दिया गया दंड यथावत रखा जाता है। उन्हें धारा 457 के अंतर्गत दिया गया दंड यथावत रखा जाता है। हालांकि, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 394 के अंतर्गत दिया

गया दंड अपास्त किया जाता है। इन दोनों धाराओं के तहत 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास के दंड के स्थान पर, उन्हें 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के जुर्माने का दंड दिया जाता है, जिसे समय पर न दे पाने की स्थिति में इन धाराओं में से प्रत्येक के तहत 6-6 महीने के सश्रम कारावास का अतिरिक्त दंड भोगना होगा। इस न्यायालय द्वारा दिए गए/संशोधित किए गए उपरोक्त दंड साथ-साथ चलेंगे। बताया जाता है कि अपीलार्थी जमानत पर हैं। उन्हें शेष दंड भोगने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन हेतु तत्काल विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

(अधिवक्ता अभिषेक पांडेय द्वारा अनुवाद किया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।